



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. 71/1/एनसीएसटी/2020-प्रशा.

दिनांक: 20.12.2022

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित स्थानांतरण/तैनाती तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

- I. श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी एपीसीआर अनुभाग, एनसीएसटी मुख्यालय, नई दिल्ली का कार्य देखेंगे।
  - II. श्रीमती सोनल राज, वरिष्ठ अन्वेषक स्थापना अनुभाग, एनसीएसटी मुख्यालय, नई दिल्ली का कार्य देखेंगी।
2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेश कुमार वर्मा)  
अवर सचिव (प्रशा.)  
दूरभाष सं०:24657271

सेवा मे,

1. श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, एनसीएसटी, नई दिल्ली।
2. श्रीमती सोनल राज, वरिष्ठ अन्वेषक, एनसीएसटी, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. माननीय सदस्य के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
3. सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
5. निदेशक (प्रशा.)/निदेशक (आरएमडीसी/एपीसीआर), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
6. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
7. अवर सचिव (प्रशा. स्था.), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
8. वेतन और लेखा अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जीवन तारा भवन, नई दिल्ली।
9. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
10. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख।
12. एनआईसी सेल को एनसीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।